भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-90

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

केरल में पीएम पोषण योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी

†*90. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मध्याह्न भोजन/प्रधानमंत्री पोषण योजना को जारी रखने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के अल्प हिस्से का उपयोग करते हुए इस योजना को लागू करने में विद्यालयों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का इस योजना में केन्द्र सरकार का हिस्सा बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केरल सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि की भारी कमी की स्थिति का सामना कर रही है, यदि हां, तो वित्तीय संकट से उबरने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने केरल सरकार को इस योजना के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से का भुगतान बकाया राशि के बिना ही कर दिया है; और
(छ) यदि हां, तो आज की तारीख तक केरल को संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (छ.) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

"केरल में पीएम पोषण योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा दिनांक 29.07.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 90 के भाग (क) से (छ.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की साझेदारी में कार्यान्वित की जाने वाली सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए स्कूलों में पीएम पोषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने सहित योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत 10.67 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.63 करोड़ छात्र शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन 12467.39 करोड़ रुपये है और इस वित्त वर्ष के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 25.33 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से खाद्यान्न के प्रावधान के लिए लगभग 9000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भी वहन करती है।

केंद्र सरकार इस योजना के तहत निम्नलिखित घटकों के लिए 100% सहायता प्रदान करती है:

i) खाद्यान्न की लागत,
ii) परिवहन सहायता,
iii) प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई)

अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच योजना के अंतर्गत लागत साझाकरण अनुपात है

- बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए 90:10,
- अन्य राज्यों के साथ-साथ विधानमंडल वाले 2 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और पुडुचेरी) के लिए 60:40

उपरोक्त वित्तपोषण पैटर्न निम्नलिखित घटकों के लिए है:

i) सामग्री लागत
ii) रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय

(घ) से (छ): केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निधि की कमी के कारण पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन में कोई संकट नहीं है और वर्ष 2023-24 तक केंद्र सरकार से कोई राशि प्राप्त होने के लिए शेष नहीं है। एसएनए 01 रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 21.07.2024 तक, केरल राज्य सरकार के पास 26.31 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, दिनांक 01.04.2024 तक 34.33 करोड़ रुपये अप्रयुक्त शेष के रूप में उपलब्ध थे और दिनांक 24.07.2024 को 48.47 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। इस योजना के तहत, 2014-15 से 2024-25 (आज तक) तक केरल राज्य सरकार को जारी केंद्रीय सहायता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई केंद्रीय सहायता (रु. करोड़ में)
1	2014-15	225.75
2	2015-16	171.21
3	2016-17	177.81
4	2017-18	329.78
5	2018-19	198.57
6	2019-20	199.62
7	2020-21	276.89
8	2021-22	184.82
9	2022-23	425.44
10	2023-24	249.01
11	2024-25	48.47 (पहली किस्त)

*****